समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 /2016 निगरानी

R-3196-I-16

(5134) 417

1. गनेश राय तनय हल्के राय
2. तुलाराम राय तनय हल्के राय
3. छोटेलाल राय तनय हल्के राय
4. संतोष राय तनय चिंतामन राय
5. राजपाल तनय चिंतामन राय
6. राकेश राय तनय चिंतामन राय
7. विजय राय तनय चिंतामन राय
8. किशोरी राय सैटोले राय
9. देवकुवर पुत्री चिंतामन राय

समस्त निवासीगण ग्राम रामगढ तहसील जतारा जिला टीकमगढ म.प्र.

..........आवेदकगण

सुनील सिंह पाण्डेय अभि.
द्वारा आज 3-11-16 को
प्रस्तुत

R-1
3/11/16

3-11-16

विरूद्ध

1. पर्वत तनय सरमन कलार
2. मुकेश कुमार राय तनय नाथूराम
3. सुरेश कुमार राय तनय नाथूराम
4. दिनेशकुमार राय तनय नाथूराम

समस्त निवासीगण ग्राम रामगढ तहसील जतारा जिला टीकमगढ म.प्र. ।

........अनावेदकगण

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ म.प्र. के रा0प्र0क्र0 03/बी –121/2014–15 मे पारित आदेश दिनांक 28.10.2014 के विरूद्ध निगरानी ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3796-एक/2016 जिला टीकमगढ़ गनेश विरूद्ध पर्वत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 03/बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 28-10-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-11-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

25/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य